न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 19 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

नारायणसिंह पुत्र श्री जीतमल बनाम 1.भीमराज बोहरा पुत्र श्री सोहनराज वगै.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 13/2011 बअनवान नारायणसिंह बनाम भीमराज वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2013।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री मुरलीधर जोशी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 23.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी द्वारा एक राजस्व वाद 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि वक्त रेगुलर सेटलमेंट के समय पैमाईश होकर नया खसरा नम्बर 73 रकबा 98 बीघा खातेदारी में सदराम जी वाला खेत के रूप में प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त खसरा जो सदाराम जी वाला खेत के नाम से जाना जाता था। उक्त खेत न तो जीतमल जी ने खरीद किया और न ही आवंटन हुआ। इस प्रकार उक्त खेत पूर्णतया मौरूसी हैं व संयुक्त परिवार की अविभाज्य सम्पत्ति व सामलती कब्जा काश्त के रूप में रही हैं। उपरोक्त आराजी वादी के दादा सदाराम जी का होने से वादी का उक्त खेत में विधि अनुसार हिस्सा हैं, जिसमें वादी के पिता व भाई का बराबर हिस्सा हैं। उक्त हिस्से के आधार पर वादी को खसरा नम्बर 73 रकबा 98 बीघा का कानूनन 1/3 हिस्सा आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जिसके विरूद्व हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में तनकीयात कायम के बाद दिनांक 18.11.2013 को पत्रावली वास्ते साक्ष्य रखी गई थी परन्तु वादी/अपीलांट की जानकारी में लाये बिना कांट–छांट कर साक्ष्य वादी को कांट कर जिस पर अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं है अग्रिम कार्यवाही हेतु लिखा गया व दिनांक 23.12.2013 को बिना किसी विधि के प्रावधानों के मनमाने ढंग से बहस सुने बिना रेकर्ड में बहस सुना लिखकर इस आधार पर वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सद्धिांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में विक्रय–विलेख प्रभावी होने से क्षेत्राधिकार के बिंदु पर ही नियमित वाद खारिज कर दिया। वादी/अपीलांट का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों मुताबिक इस पुश्तैनी वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हक निहित था, तत्पश्चात यदि कोई विक्रय विलेख निष्पादित हुआ है तो वह उसके हक–हिस्से तक प्रारंभत शून्य एवं निष्प्रभावी(Null & Void) है उसे निष्प्रभावी कराने की कोई इस्तदुआ अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में नहीं चाही है। वादी/अपीलांट को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 13/2011 बअनवान नारायणसिंह बनाम भीमराज वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.12.2013 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलार्थिया के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर